Date: Sun, 16 Oct 2016 23:59:23 -0700
From: Rakesh Vats <rakeshvats898@gmail.com>
To:sksinghal@trai.gov.in
CC:das@trai.gov.in

सेवा में

चेयरमैन साहब
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया

नई दिल्ली

विषय (टैरिफ आर्डर सम्बंधित)

महोदय मैं रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टैरिफ आर्डर पर मांगे गए सुझाव का स्वागत करता हूँ और केबल टीवी का उपभोक्ता होने के नाते अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूँ |

मान्यवर,

केबल टीवी डिजिटाइजेशन के बाद एक आम उपभोक्ता को इसका कोई विशेष लाभ अभी तक प्राप्त होना शुरू नहीं हुआ बल्कि डिजिटाइजेशन के बाद उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ गया है जैसा कि डिजिटाइजेशन से पूर्व प्रचारित किया गया था कि हमे अपने चैनल चुनने का अधिकार होगा और सिर्फ अपने चुने हुए चैनलो का ही भुगतान करना होगा अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है बल्कि केबल आपरेटर्स के द्वारा जो पैकेज बनाकर दिए जाते हैं उसमे मुझे कौन कौन से चैनल्स मिलेंगे और उनमे फ्री टू एयर चैनल्स कितने हैं या पे चैनल्स कितने हैं इसकी भी कोई जानकारी नही दी जाती है रेगुलेटरी अथॉरिटी को उपभोक्ताओं के हित में इस विषय पर तुरंत ध्यान देना चाहिए ।

महोदय टैरिफ आर्डर में प्रति चैनल जो रेट तय किये जाने का प्रस्ताव है इससे तो आम उपभोक्ताओं पर और ज्यादा मासिक शुल्क का दबाव पडेगा अतः मेरा सुझाव है कि

1 -पे चैनल को विज्ञापन से बहुत अधिक आय होती है अतः पे चैनल का मासिक शुल्क होना ही नहीं चाहिये और यदि पे चैनल का उपभोक्ता से मासिक शुल्क लिया जाता है तो उस चैनल को पूरी तरह विज्ञापन मुक्त होना चाहिए फिर भी यदि रखरखाव को ध्यान में रखते हुए उपभक्ताओं से कोई मासिक लेना आवश्यक है तो 3 रूपये प्रति चैनल से अधिक न रखा जाये ।

2 . कई ब्रॉडकास्टर्स ने अपने दो दो तीन तीन चैनल्स बना दिए हैं और उन चैनलो पर पहले से प्रसारित हो चुके प्रोग्राम को पुनः प्रसारित किया जाता है और उसका मासिक शुल्क भी वसूल किया जाता है जो आम उपभोक्ता के हित में नहीं है ऐसे चैनलो पर तुरन्त रोक लगनी चाहिए ।

मान्यवर दिसम्बर 2012 में डिजिटाजेशन लागू होने से पूर्व तक केबल टीवी का मासिक किराया 100 रुपये था जो आज बढ़कर लगभग 300 रूपये तक पहुंच गया है और डिजिटाइजेशन के बाद से औसतन दो सेटटॉप बॉक्स हर उपभोक्ता के घर पर होते हैं अर्थात उपभोक्ताओं की संख्या में भी बढोत्तरी हुई है जिससे केबल टीवी सेक्टर में अभूतपूर्व ग्रोथ हुई है अतः इन परिस्थितयों में चैनल्स के रेट ज्यादा रखने का कोई औचित्य नहीं हैं अतः मैं आम उपभोक्ताओं एवं अपनी तरफ से रेगुलेटरी अथॉरिटी से आग्रह करता हूँ उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और ज्यादा बढोत्तरी को रोका जाये जिससे हम सब पर ज्यादा आर्थिक बोझ न बढ़े महान दया होगी ।

आपका आभारी

नाम राकेश वत्स

पता RZ A8 विजय ऐनकलैव पालम

नई दिलली ११००४५.